छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक: 26 अक्टूबर, 2010 को मध्याह्न 12:00 बजे सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये: –

1.	प्रो0 हर्ष कुमार सहगल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 नन्दलाल, प्रतिकुलपति	सदस्य
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री खेमकरन, से.नि.	सदस्य
4.	श्री पी0सी0 शर्मा,	सदस्य
5.	प्रो0 संजय श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो0 मृदुला भदौरिया	सदस्या
7.	प्रो0 ए0एल0 जाटव	सदस्य
8.	प्रो0 मुकेश रंगा	सदस्य
9.	डॉ0 संजय स्वर्णकार	सदस्य
10.	डॉ0 अंशु यादव	सदस्या
11.	डॉ0 संदीप कुमार सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 निरंजन सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 आर0के0 आर्या	सदस्य
14.	डॉ0 जहान सिंह यादव	सदस्य
15.	श्री एस0सी0 मुदगल, वित्त अधिकारी	सदस्य
16.	श्री महेश चन्द्र, कुलसचिव	सचिव

–:–:–:–:–:–:–:–:–:–

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों प्रो0 मृदुला भदौरिया, श्री एस0सी0 मुदगल, वित्त अधिकारी, डॉ0 सुशीला देवी सरोज, डॉ0 निरंजन सिंह, डॉ0 जहान सिंह यादव, डॉ0 आर0के0 आर्या, डॉ0 संदीप कुमार सिंह, डॉ0 सुदेश कुमार को बधाई देते हुए परिषद के समस्त सदस्यों का स्वागत किया एवं परिषद के पूर्व सदस्यों प्रो0 आर0सी0 कटियार, डॉ0 शिशुपाल सिंह भदौरिया, डॉ0 हेमलता सिंह, डॉ0 जितेन्द्र सिंह, डॉ0 बी0के0 शुक्ला एवं डॉ0 आर0के0 तिवारी के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं0–1: कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक : 13.08.2010 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद द्वारा कार्यपरिषद की विगत बैठक दिनांकः 13.08.2010 की कार्यवाही को सर्वसम्मति से निम्नांकित संशोधनोपरान्त/जोड़ते हुए यथावत सम्पुष्ट किया गया।

(i) सदस्य श्री पी0सी0 शर्मा ने गत बैठक में अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध किया था। परन्तु उन्हें अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही में उल्लेख नहीं है, इस पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें गत बैठक दिनांकः 13.08.10 में अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में परिषद को अवगत कराया।

(ii) परिषद की बैठक दिनांकः 13.08.10 के मद संख्या–3 पर उल्लिखित कार्यवाही को सम्पुष्ट किये जाने से पूर्व उत्तर पुस्तिकाओं के मुख पृष्ठ के निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श पृथक से अन्य बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) पर किया गया है।

मद सं0–2: परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 29.09.2010 में मद सं0–04 पर शोध उपाधि से कुल 38 पी.एचडी./डी.लिट् शोधकर्ताओं को अलंकृत किये जाने के लिए निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

परिषद ने परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांकः 29.09.2010 में मद संख्या–04 पर शोध उपाधि से कुल 38 पी0एच–डी0 शोधकर्ताओं को अलंकृत किये जाने के निर्णय पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0–3: माननीय उच्च इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 1356/2010, उमेश चन्द्र द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7.09.2010 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कैम्पस स्कूल में कार्यरत शिक्षकगणों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित सामूहिक प्रत्यावेदन 16.09.2010 पर विचार।

परिषद ने माननीय उच्च इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 1356/2010, उमेश चन्द्र द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7.09.2010 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कैम्पस स्कूल में कार्यरत शिक्षकगणों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित सामूहिक प्रत्यावेदन 16.09.2010 पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि कैम्पस स्कूल पुनः शुरू किये जाने की

सम्भावना के प्रकरण का परीक्षण एक समिति द्वारा बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (The Right of Children To Free And Compulsory Education Act, 2009) के आलोक में करा लिया जाये, जिसमें आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को रखा जाए। गठित समिति कैम्पस स्कूल सम्बन्ध में वित्तीय दृष्टिकोण से व्यय के अनुरूप आय के स्रोत आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी अनुशंसा देगी। समिति द्वारा दी गयी अनुशंसा पर निर्णय हेतु कार्यपरिषद में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या–1356/2010, उमेश चन्द्र द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दि0: 07.09.10 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता से विधिक परामर्श भी प्राप्त कर लिया जाए।

परिषद ने प्रकरण के परीक्षण में लगने वाले समय के दृष्टिगत यह निर्देश दिये कि माननीय उच्च न्यायालय से अतिरिक्त यथोचित समय प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता को सूचित कर दिया जाए।

मद सं0–4: **विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता से परिषद को संसूचित किया जाना।**

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नवीन महाविद्यालयों/नवीन पाठ्यक्रमों एवं पूर्व से संचालित सम्बद्ध महाविद्यालयों की सम्बद्धता से परिषद संसूचित हुई।

मद सं0–7: **विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को विभिन्न कॉफ्रेंसों में अपने पेपर प्रेजेन्टेशन व अन्य अकादमिक उन्नति हेतु अवकाश पर जाने के निमित्त विशेष अवकाश पर विचार।**

परिषद ने विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को विभिन्न कॉफ्रेन्सों में अपने पेपर प्रेजेन्टेशन व अन्य अकादमिक उन्नति हेतु अवकाश पर जाने के निमित्त विशेष आकस्मिक अवकाश पर अनुमति प्रदान करते हुए यह भी निर्णय लिया कि इसकी अवधि अनुदानित शिक्षकों हेतु परिनियम में प्राविधानित अवकाश नियमावली की भांति 10 दिवसों की होगी।

मद सं0–8: विश्वविद्यालय में विभिन्न सामग्रियों के क्रय एवं उनके भुगतान संबंधी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी तथा त्वरित बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट क्रय एवं सामान्य क्रय हेतु लागू की गयी प्रक्रिया से परिषद को संसूचित किया जाना।

परिषद विश्वविद्यालय में विभिन्न सामग्रियों के क्रय एवं उनके भुगतान संबंधी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी तथा त्वरित बनाने के उद्देश्य से विशिष्ट क्रय एवं सामान्य क्रय हेतु लागू की गयी प्रक्रिया से संसूचित हुई। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रू0 300/– तक की सीमा में वृद्धि हेतु शासन से अनुरोध किया जाए।

मद सं0–9: विश्वविद्यालय परिसर से निष्कासित चार छात्रों के सामूहिक प्रत्यावेदन दिनांक 20.08.2010 पर विचार।

परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर से निष्कासित चार छात्रों के सामूहिक प्रत्यावेदन दिनांक 20.08.2010 पर विस्तृत विचारोपरान्त माननीय कुलपति जी को नियमानुसार प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने चार सदस्यीय समिति जिसमें प्रो0 नन्दलाल, प्रतिकुलपति, डॉ0 निरंजन सिंह, सदस्य कार्यपरिषद, डॉ0 जहान सिंह यादव, सदस्य कार्यपरिषद एवं कुलसचिव होंगे के गठन का प्रस्ताव रखा जिस पर कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की तथा यह भी निर्णय लिया कि प्रत्यावेदन निस्तारण से पूर्व विधिक परामर्श भी प्राप्त कर लिया जाए।

अन्य बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

मद सं0–1: विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित किये जाने में होने वाली त्रुटियां जिसमें विशेष रूप से छात्रों को उपस्थित होने के उपरान्त भी प्रश्नपत्रों में अनुपस्थित दर्शाया जाता है तथा शून्य अंक दे दिये जाते हैं के दृष्टिगत आगामी सत्रों में परीक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली नयी उत्तरपुस्तिका के मुख पृष्ठ को ओ0एम0आर0 पद्धति एवं बारकोड पर किये जाने का प्रारूप पर परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद यह अवगत कराया गया कि नयी उत्तर पुस्तिका के प्रयोग में लाये जाने के उपरान्त त्रुटि की संभवाना नगण्य होगी तथा परीक्षाफल पारदर्शी रूप से घोषित किये जाने में कम समय लगेगा। जिस पर परिषद ने सहमति प्रदान करते हुए वर्तमान सत्र 2010–11 से लागू किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं0–2: विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार मानदेय दिये जाने के सम्बंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद को यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद एवं वित्त समिति ही सक्षम प्राधिकारी है। अतएव छठे वेतनमान के अनुरूप मानदेय प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद ने अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए वित्त समिति की सहमति हेतु संदर्भित किये जाने पर सर्वसम्मति से विनिश्चय किया गया।

मद सं0–3: कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर की जाने वाली मांगों के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में ग्रीवान्स रिड्रेसल कमेटी के गठन का निर्णय लिया। गठित समिति मांगों के निस्तारण हेतु नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुतियां कुलपति जी के अनुमोदनार्थ कुलसचिव जी को उपलब्ध करायेंगे।

(हर्ष कुमार सहगल)
कुलपति/अध्यक्ष

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव/सचिव